सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 19, गुरूवार, *शाके* 1947- जुलाई 10, 2025 *Asadha 19, Thursday, Saka 1947- July 10, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2025

संख्या प.10(7) कृषि/ग्रुप-2/1979 पार्ट-2 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.1980 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम आभानेरी पंचायत समिति मुख्यालय रामगढ पचवारा में रामगढ पचवारा के नाम से गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम आभानेरी पंचायत समिति मुख्यालय रामगढ पचवारा में रामगढ पचवारा के नाम से गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगीः-

पूर्व में - ग्राम आभानेरी PWD रोड़ खसरा नं. 296/41 तक
पश्चिम में - ग्राम बामनहेड़ी खसरा नं. 18 तक
उत्तर में - ग्राम आभानेरी खसरा नं. 288/40 तक
दक्षिण में- ग्राम आभानेरी खसरा नं. 291/40 तक

गौण मण्डी यार्ड रामगढ पचवारा की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

7289

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।